

फॉर्मेट (प्राारुप) -सी-2

राजनैतिक दलों के लिए वेबसाइट, समाचार पत्रों / टी.वी. में प्रकाशन हेतु)

दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थियों के आपराधिक पूर्ववृत्त के बारे में घोषणा

(वर्ष 2011 की रिट याचिका (सिविल) सं. 536 पब्लिक इंटेरेस्ट फाउंडेशन एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं एक अन्य)
में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 25, सितम्बर 2018 के निर्णय के अनुसार)

राजनैतिक दल का नाम : समाजवादी पार्टी

निर्वाचन का नाम : उत्तर प्रदेश विधान परिषद खण्ड शिक्षक व खण्ड स्नातक निर्वाचन वर्ष-2026

राज्य शासित क्षेत्र का नाम : उत्तर प्रदेश

1	2	3	4		5		
क्र० सं०	निर्वाचन क्षेत्र का नाम	अभ्यर्थी का नाम	(क) लंबित आपराधिक मामले		(ख) आपराधिक मामलों के लिए दोषसिद्धि के विषय के संबंध में विवरण		
			न्यायालय का नाम, मामले की सं० एवं मामला (मामलों) की स्थिति	सम्बन्धित अधिनियमों की धाराएं और अपराध (घों) का संक्षिप्त विवरण	न्यायालय का नाम एवं आदेश (शों) की तारीख(तारीखें)	अपराध (घों) और अधिरोपित दण्ड का विवरण	अधिकतम अधिरोपित दण्ड
1.	आगरा खण्ड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र	शशांक	अपराध संख्या-324/2015 थाना-निधौली कला एटा F.I.R. के आरोप विवेचना में राजनीति से प्रेरित व असत्य पाए गए जिस कारण अभ्यर्थी का नाम आरोप पत्र सम्मिलित नहीं किया गया न्यायालय-A,C,J,M,(J) कोर्ट एटा	धारा-147, 148, 149, 323, 506 IPC चार से अधिक लोगों के साथ मिलकर मारपीट आदि	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
2.			अपराध संख्या-325/2015 थाना-निधौली कला एटा विवेचना प्रचलित है न्यायालय-A,C,J/SD कोर्ट, एटा	धारा-147, 148, 149, 336, 332, 353 IPC दंगा भड़काना एवं सरकारी काम में बाधा डालना आदि	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं